झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 में संशोधन के लिए विधेयक

भारतीय गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

1) संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारंभ:- यह अधिनियम भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

2) इसका प्रसार संपूर्ण झारखण्ड में होगा।

3) यह उस तिथि को प्रवृत होगा, जैसा कि राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

4) मूल अधिनियम की धारा 10 (1) निम्न रूप से प्रतिस्थापित की जाएगी।

(10) शुल्क कैसे दिये जाएगें :-

(1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सभी शुल्क जिनसे कोई लिखतें प्रभार्य है, संदत्त किये जायेंगे और ऐसा संदाय ऐसे लिखतों पर स्टाम्प अथवा अन्य माध्यम जैसा राज्य सरकार चाहे द्वारा उपदर्शित किया जाएगा -

(क) इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, या

(ख) जहाँ ऐसा कोई उपबंध लागू न हो वहाँ जैसा राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करे।

यह विधेयक भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष